Ombudsman
Fairness for all

आधिकारिक सूचना हेतु अनुरोध या षिकायत करना

आप निम्न से आधिकारिक सूचना का अनुरोध कर सकते हैं:

- षाही सरकार का कोई मंत्री
- कोई सरकारी एजेंसी
- कोई राज्य–अधिक ृत उद्यम
- कोई षाही संस्था
- कोई नगर, जिला या क्षेत्रीय परिशद
- कोई जिला स्वास्थ्य बोर्ड
- कोई त ृतीयक संस्थान
- न्यासियों का कोई स्क ूल बोर्ड

यदि आपके अनुरोध पर जवाबी कार्यवाही से आप असंतुश्ट हैं तो आप लोकपाल को षिकायत कर सकते हैं

आधिकारिक सूचना हेतु अनुरोध करना

आधिकारिक स ूचना अधिनियम अथवा स्थानीय सरकार आधिकारिक स ूचना एवं बैठक अधिनियम के अंतर्गत आप आधिकारिक स ूचना हेतु अनुरोध कर सकते हैं

'आधिकारिक स ूचना' क्या है?

आधिकारिक स ूचना का अर्थ निम्न के द्वारा रखी गई किसी स ूचना से है:

- षाही सरकार का कोई मंत्री
- केंद्र सरकार की एजेंसियां और राज्य–अधिक ृत उद्यम
- पुलिस
- कोई नगर, जिला या क्षेत्रीय परिशद
- न्यासियों के स्क ूल बोर्ड और त ृतीयक संस्थान
- सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकारी, जैसे कि जिला स्वास्थ्य बोर्ड
- आधिकारिक स ूचना अधिनियम अथवा स्थानीय सरकार आधिकारिक स ूचना एवं बैठक अधिनियम के अंतर्गत आने वाली राज्य सेक्टर की कोई अन्य एजेंसी

यदि आप अपने बारे में निजी जानकारी हेतु अनुरोध करते हैं, तो यह निजता अधिनियम से आच्छादित होगा। निजता अधिनियम के बारे में प ूछताछ निजता आयुक्त से की जानी चाहिए।

आधिकारिक सूचना हेतु आप किस प्रकार अनुरोध कर सकते हैं?

उस एजेंसी के समक्ष अनुरोध करें जिसने आपके विचार में आपकी वांछित जानकारी रखी हुई है। अपनी वांछित जानकारी को लेकर स्पश्ट रहें।

यदि आपको निष्चित तौर पर पता नहीं है कि एजेंसी ने जानकारी रखी हुई है या नहीं, तो उन्हें कॉल करना सर्वोत्तम तरीका है। आपका अनुरोध करने में आपकी यथोचित मदद की उनसे अपेक्षा की जाती है। आपके अनुरोध की प्रतियां या इनकी तिथियों की टिप्पणियां रखना सहायक होता है।

इसमें कितना समय लगेगा?

एजेंसी को आपके अनुरोध का उत्तर अधिकतम 20 कार्यदिवसों के अंदर अवष्य देना होगा। यह समय–सीमा बढ़ाई जा सकती है लेकिन एजेंसी को आपको इसका कारण अवष्य बताना होगा।

आप अपने अनुरोध पर तत्काल महत्त्व के आधार पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं लेकिन आपको इसके कारण अवष्य बताने होंगे।

यह जानने के लिए हमारे ऑनलाइन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें कि आपके अनुरोध का जवाब कब भेजा जाना चाहिए।

क्या आपसे सूचना के एवज में भुगतान करने को कहा जा सकता है?

अधिकांष मामलों में सूचनाएं बिना प्रभार प्रदान की जाती हैं। कोई प्रभार लिए जाने की स्थिति में यह तर्कसंगत होना चाहिए।

क्या सूचना रोकी जा सकती है?

अनेक कारणों से सूचना रोकी जा सकती है। यदि एजेंसी, किसी आधिकारिक सूचना को रोकने का फैसला करती है जिसका आपने अनुरोध किया है, तो उन्हें इसके कारण से आपको अवष्य अवगत कराना होगा।

लोकपाल किस तरह सहायता कर सकता है?

यदि आपके अनुरोध को मिली प्रतिक्रिया से आप असंतुश्ट हैं या प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त की है, तो आप लोकपाल के समक्ष षिकायत कर सकते हैं। हम सूचनाओं के रोके जाने, विलम्ब करने या अनुरोधों का उत्तर देने की समय–सीमाएं बढ़ाने, और सूचना प्रदान करने के एवज में प्रभार वसूलने आदि की जांच कर सकते हैं।

आपकी षिकायत का निबटारा करते समय लोकपाल स्वतंत्रतापूर्वक व निश्पक्ष भाव से कार्य करता है।

यदि आपका कोई प्रष्न है तो 0800 802 602 पर हमारे कार्यालय में फोन करें।

आप किस प्रकार षिकायत कर सकते हैं?

आप पत्र, फैक्स, ईमेल से षिकायत भेज सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर ऑनलाइन षिकायत फार्म भर सकते हैं।

कृपया अपने अनुरोधपत्र की एक प्रति, या आपके मौखिक अनुरोध के विवरण, तथा उस अनुरोध का यदि एजेंसी द्वारा जवाब दिया गया हो तो उसकी एक प्रति उपलब्ध कराएं।

यदि आपने अपने अनुरोध का उत्तर नहीं प्राप्त किया है, तो इसका विवरण दें कि आपने कब और कहां अनुरोध किया। यदि आपको सहायता चाहिए तो हमें 0800 802 602 पर कॉल करें।

जब आप षिकायत करेंगे तो क्या होगा?

हम इसकी प्राप्ति की आपको सूचना देंगे और षिकायत निबटान प्रक्रिया के दौरान हम आपको जानकारी देते रहेंगे।

आपकी षिकायत पर यथासंभव षीघ्र कार्यवाही के लिए अनौपचारिक पूछताछ की जा सकती हैं। हम बिना जांच के भी आपकी षिकायत का समाधान करने में सक्षम हो सकते हैं।

यदि आपकी षिकायत पर जांच होती है तो लोकपाल द्वारा एजेंसी से स्पश्टीकरण मांगा जाएगा। यदि कोई सूचना रोकी गई है तो लोकपाल इसका निरीक्षण करेगा।

लोकपाल इसकी पुश्टि करेगा कि आपके अनुरोध पर ठीक तरह से प्रतिक्रिया की गई अथवा नहीं। यदि यह पुश्टि की जाती है कि अनुरोध को ठीक ढंग से निबटाया गया है, तो कोई अंतिम निर्णय करने से पूर्व इसके उत्तर का आपको अवसर दिया जाएगा। जहां भी उपयुक्त पाया जाए, लोकपाल द्वारा एजेंसी से कोई सिफारिष की जा सकती है।

लोकपाल (ऑम्बड्समैन) से संपर्क करें

मुफ्त फोन: **0800 802 602**

www.ombudsman.parliament.nz

ईमेलरू
info@ombudsman.parliament.nz

डाक पतारू
PO Box 10152, Wellington 6143

फैक्सरू
(04) 471 2254

कार्यालय पूछताछरू
8:30 बजे सुबह से 5:00 बजे षाम तक सोमवार से षुक्रवार

वेलिंगटन
लेवल 14, 70 दि टैरेस, वेलिंगटन, 6143

ऑकलैण्ड
लेवल 10, 55-65 षार्टलैण्ड स्ट्रीट, ऑकलैण्ड 1010

क्रॉइस्टचर्च
545 वाइराकेई रोड, हेयरवुड, क्रॉइस्टचर्च 8053